"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2002—अग्रहायण 29, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2002

क्रमांक 2890/2471/2002/1/2.—श्री राबर्ट हरंगडौला, भा.प्र.से. (1970), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है.

2. श्री बी. के. एस. रे, भा. प्र. से. (1972), प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ के पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है.

3. श्री नारायण सिंह, भा. प्र. से. (1977), आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ के पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-2-32/2002/1-8.—राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए पद पर पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री बी. पी. एस. नेताम, छ. ग. शासन, उप-सचिव शिक्षा विभाग.	संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, शिक्षा विभाग
2.	श्री जी. एस. धनंजय, उप-सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं उप-सचिव, छ. ग. शासन, गृह (विमानन).	संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, गृह (विमानन) विभाग.
3.	श्री बी. के. अग्रवाल, उप-सचिव, राजभवन सचिवालय	संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय.
4.	श्री एम. के. त्यागी, उप-सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय	संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय.

रायपुर, दिनांक 30 नवंबर 2002

क्रमांक एफ-2-8/2002/1-8.—श्री पी. एन. मायस्कर, अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-14-2/2002/1-8.—राज्य प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अवर सचिवों को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री पी. एन. ठाकुर, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय	उप-सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय.
2.	श्री एच. यू. खान, अवर सचिव, छ. ग. शासन, छत्तीसगढ़ शासन, पुनर्वास, आदिमजाति, अनु. जाति विकास (अल्पसंख्यक एवं पि. क. वर्ग) विभाग.	उप-सचिव, छ. ग. शासन, पुनर्वास, आदिमजाति, अनु. जाति विकास (अल्पसंख्यक एवं पि. क. वर्ग) विभाग.
3.	श्री निरंजन दास, अवर सचिव, छ. ग. शासन, गृह विभाग	उप-सचिव, छ. ग. शासन, गृह विभाग.

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-2-6/2002/1-8.—श्री व्ही. एस. शालवार, अवर सचिव, छ. ग. शासन, शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2002

क्रमांक 2872/1342/2002/2/एक.—श्री एस. के. राजू, भा. प्र. से. तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर को दिनांक 7-3-2002 से 20-3-2002 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री राजू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2002

क्रमांक 2932/2425/साप्रवि/2002/1/2.—श्री अवध बिहारी, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 6-8-2002 से 1-10-2002 (57 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 2 अक्टूबर, 2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री अवध बिहारी को, अवकाश से लौटने पर, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बिहारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. अवकाश की अवधि में श्री बिहारी को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ 73/128/HE/02.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो ''नेशनल

टेक्नॉलॉजिकल यूनिवर्सिटी, रायपुर'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''नेशनल टेक्नॉलाजिकल यूनिवर्सिटी, रायपुर'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 29th November 2002

No. F 73/128/HE/02.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extention of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "National Technological University, Raipur" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "National Technological University, Raipur" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक 362/ब-4/चार/2002.—म. प्र. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एल-1/28-99/ब-7/चार, दिनांक 1-9-99 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान मंजूर किये गये ऋणों पर ब्याज की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है. ये दरें 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावशील रहेगी.

क्रमांक	श्रेणी	ब्याज दरें (प्रतिशत प्रतिवर्ष)
(1)	(2)	(3)
1.	कृषक ऋण अधिनियम के अंतर्गत विभागीय अधिकरण द्वारा दिये जाने वाले कृषकों को ऋण (चार वर्ष तक).	13.00

(1)	(2)	(3)
2.	प्राकृतिक विपदाओं में हुए, कष्टों में राहत देने के लिये कृषकों व अकृषकों को ऋण.	12.00
3.	कृषक ऋण अधिनियम तथा भू-सुधार अधिनियम के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को ऋण :—	
	(1) अल्पावधि ऋण	12.00
	(2) मध्यावधि ऋण	13.50
4.	भारत सरकार से प्राप्त अल्पावधि ऋण	9.00
5.	(क) एक करोड़ से कम अंशपूंजी वाली सहकारी संस्थाओं को ऋण.	12.50
	(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों और एक करोड़ से अधिक अंशपूंजी वाली सहकारी समितियों को ऋण.	
	(1) नगद कमी या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु ऋण के अलावा ऋण.	16.00
	(2) नगद कमी या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिये ऋण (अधिकतम 5 वर्ष).	18.50
	(ग) निजी क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों को दिये जाने वाले ऋण.	"ख" में बताई गई दर 1/2% अधिक
6.	शहरी क्षेत्रों में अस्थाई जलकष्ट का निवारण (आयोजना एवं आयोजनेत्तर)	13.50
7.	वन तकावी	13.00
8.	उपद्रवों से पीड़ित व्यक्तियों को ऋण	12.50
9.	वन अधीक्षकों को बन्दूक क्रय करने हेतु ऋण	13.00
10.	राज्य आयोजनागत, केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिये ऋण :—	
	(1) चार वर्ष से नौ वर्ष तक	12.00

(1)	(2)	(3)
	(2) दस वर्ष तथा उससे ऊपर	12.50
11.	राज्य शासन द्वारा तदर्थ आधार पर ऋण (शैक्षणिक अन्य सामाजिक सेवा संस्थायें तथा अन्य व्यक्तिगत ऋण).	13.00
12.	जीवन बीमा निगम से ऋण :—	
	(1) सामान्य विकास कार्यों हेतु	राज्य शासन को ऋण प्राप्ति की दर + 0.5 प्रतिशत सेवा प्रभार.
	(2) ग्रामीण विकास कार्यों हेतु	राज्य शासन को ऋण प्राप्ति की दर + 0.5 प्रतिशत सेवा प्रभार.
13.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	राज्य शासन को ऋण प्राप्ति की दर + 0.5 प्रतिशत सेवा प्रभार.
	दाण्डिक ब्याज	सामान्य दर से 3% अधिक
14.	गृह निर्माण अग्रिम/भवन क्रय पर अग्रिम	
	(अ) रुपये 2.00 लाख तक	10.50
	(ब) रुपये 2.00 लाख से अधिक तथा 5.00 लाख तक	11.50
	(स) रुपये 5.00 से ऊपर	12.50
15.	साईकिल खरीदने के लिए अग्रिम	10.50
16.	अन्य वस्तुओं एवं अन्य वाहन	
	(अ) मोटरकार को छोड़कर अर्थात् मोटर साईकिल, स्कूटर आदि के लिए	12.50
	(ब) मोटरकार खरीदने के लिए	14.25
	(स) मोटरकार खरीदने के लिए (स्व वाहन सुविधा योजना में).	11.00

दाण्डिक ब्याज सामान्य दर से 3% प्रतिवर्ष से अधिक वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एल-1/24/78/ब-7/चार, दिनांक 8-1-1979 के अनुसार लागू होगी.

रायपुर, दिनांक 30 नवंबर 2002

क्रमांक 364/ब-4/चार/2002.—राज्य शासन निम्नांकित निधियों में अभिदाताओं की कुल जमा राशियों पर 1-4-2002 से 31-3-2003 तक 9.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर निर्धारित करता है :—

निधियां

(1) कर्मचारी भविष्य निधि (छत्तीसगढ़)

(2) अंशदायी भविष्य निधि (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, उप-सचिव.

कृषि (पशुपालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2002

क्रमांक 2008/35/248/प. पा./2002-03.—भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (क्रमांक 52 सन् 1984) की धारा 45 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, पशुचिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रेशन हेतु निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति का गठन करती है, जो राज्य पशुचिकित्सा रजिस्ट्रेशन अधिकरण कहलाएगा, अर्थात् :—

1. रजिस्ट्रार - संयुक्त संचालक/उप-संचालक (पशुचिकित्सा सेवायें).
2. डॉ. के. के. श्रीवास्तव - पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, संचालनालय, पशुचिकित्सा सेवायें, रायपुर.
3. डॉ. ए. के. वाघे - पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, रायपुर.
4. डॉ. एस. के. सेन - पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, रायपुर.
5. डॉ. जे. एस. वैष्णव - पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, रायपुर.

Raipur, th 28th November 2002

No. 2008/35/248/AH/2002-03.—In exercise of the powers conferred by Section 45 (1) of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984), the State Government constitutes the committee for registration of veterinary practitioners, which will be called as State Veterinary Registration Tribunal having following members, namely :—

1. Registrar - Join Director/Dy. Director (Vety. Services).
2. Dr. K. K. Shrivastava - Veterinary Asstt. Surgeon, Directorate Veterinary Services, Raipur.
3. Dr. A. K. Waghe - Veterinary Asstt. Surgeon, Raipur.
4. Dr. S. K. Sen - Veterinary Asstt. Surgeon, Raipur.
5. Dr. J. S. Vaishnava - Veterinary Asstt. Surgeon, Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, प्रमुख सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2002

क्रमांक 1163/2631/2002/14-1.—म. प्र. शासन, कृषि विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक ए. 1. ए./59/2000/14.1, दिनांक 5-4-2002 के अनुसार, दिनांक 21-6-2002 को गठित, सम्पन्न हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में ली गई निर्णय को आवश्यक संशोधन करते हुए दिनांक 11-12-2000 को की गई सहायक संचालक कृषि की वरिष्ठता सूची के अनुसार श्री सिकलचंद पदम, सहायक संचालक कृषि, कार्यालय उप संचालक कृषि, रायगढ़ को पदोन्नत कर उप संचालक कृषि, दमोह पदस्थ किया गया है. दोनों राज्यों के विभाजन के फलस्वरूप अंतिम सूची में श्री सिकलचंद पदम को छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है. अत: मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग के आदेश क्रमांक ए. 1. ए./59/2000/14.1, दिनांक 5-4-2002 के फलस्वरूप श्री सिकलचंद पदम, सहायक संचालक कृषि, कार्यालय उप संचालक कृषि, रायगढ़ को उनके कनिष्ठ के पदोन्नति की तारीख (14-8-2000) से पदोन्नत करते हुए, उप संचालक कृषि, जिला जशपुर के पद पर (वेतनमान रुपये 10000-325-15200) तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है.

श्री सिकलचंद पदम, की वरीयता अनुसूचित जाति की वरिष्ठता सूची में श्री कोमलप्रसाद अहिरवार के नाम के ऊपर एवं श्री महेशकुमार गढ़ेवाल के नाम के नीचे निर्धारित की जाती है. श्री सिकलचंद पदम, उप संचालक कृषि को पदभार ग्रहण करने के दिनांक तक "न काम न वेतन" के सिद्धांत पर पदोन्नति पद के वेतन भत्तों की पात्रता नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक 5882/7-ए/ज.सं./त.शा./औ.ज.प्र./02/डी-4.—मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम-1931 (क्रमांक-3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्र. 18/1/91/मध्यम/31/729, दिनांक 29-4-1998 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती है :—

1. शासकीय स्रोत से	-	रु. 1.50 प्रति घन मीटर
2. नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से	-	रु. 0.45 प्रति घन मीटर
3. शासकीय स्रोत से जल के उपयोग पश्चात् पुनर्प्राप्ति (उदाहरणार्थ जल विद्युत परियोजना).	-	15.00 पैसे प्रति विद्युत इकाई उत्पादन पर एवं 0.75 पैसे प्रति विद्युत इकाई पर प्रतिवर्ष एस्केलेशन चार्जेस.
4. नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से जल के उपयोग पश्चात् पुनर्प्राप्ति (उदाहरणार्थ जल विद्युत परियोजना).	-	3.00 पैसे प्रति विद्युत इकाई उत्पादन पर.

5. उपरोक्तानुसार निर्धारित जल-दरें दिनांक 1-5-2002 से प्रभावशील रहेंगी.

6. जल का उपयोग प्रारंभ करने के पूर्व प्रारूप 7 (क) में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा.

7. उपरोक्त दरों का पुनर्निर्धारण प्रति 3 वर्ष के पश्चात् किया जावेगा.

8. निजी संयंत्रों द्वारा निस्सारित किये जाने वाले जल का निस्सरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों के अनुसार नहीं करने पर दोषी संस्थाओं को नियमानुसार दण्डित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2002

क्रमांक डी 8428/2758/21-ब/छ.ग./2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव, अधिवक्ता दुर्ग, जिला दुर्ग को फास्ट ट्रेक कोर्ट दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो भी अवधि पहले आवे शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2002

क्रमांक डी 8429/2758/21-ब/छ.ग./2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री वली उल्ला खान, अधिवक्ता दुर्ग, जिला दुर्ग को फास्ट ट्रेक कोर्ट दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो भी अवधि पहले आवे शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2002

क्रमांक डी 8432/1291/21-ब/छ.ग./2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पवन कुमार पटेल, अधिवक्ता, दुर्ग को एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दुर्ग सत्र खण्ड, दुर्ग के लिये द्वितीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2002

क्रमांक डी 8434/1291/21-ब/छ.ग./2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ऋषि कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, दुर्ग को एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दुर्ग सत्र खण्ड के लिये प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2002

क्रमांक डी 8436/1291/21-ब/छ.ग./2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जी. एल. यदु, अधिवक्ता दुर्ग को दिनांक 1-3-2002 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये सत्र खण्ड, दुर्ग राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2002

क्रमांक डी 8486/2081/21-ब/छ.ग./2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश सिंह, अधिवक्ता सरगुजा अंबिकापुर को पुनः 1-3-2002 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए सत्र खण्ड के सरगुजा के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2002

क्रमांक डी 8488/2081/21-ब/छ.ग./2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सागर राम प्रजापति अधिवक्ता सरगुजा को एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सरगुजा सत्र खण्ड के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक 4504/ग्रा. वि. स./ऊ. वि.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय है, कि ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, चरामा जिला कांकेर के द्वारा किये जा रहे विद्युतीकरण से संबंधित सौंपे गये कार्यों को निरंतर करते रहने देना लोक हित में नहीं रह गया है, तथा यह आवश्यक तथा समीचीन है कि इस समिति द्वारा किये जा रहे विद्युतीकरण से संबंधी कार्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् मंडल द्वारा संपादित किये जाय. अतः राज्य शासन पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 602/एफ-7/14/तेरह/88 भोपाल, दिनांक 6-2-1989 को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 4 में दी गई शक्तियों को उपयेाग में लाते हुए दिनांक 30-11-2002 से निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा उक्त समिति के कार्यों का निष्पादन करने की सहमति देने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त समिति के कार्यों को निष्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को 1 दिसंबर, 2002 से प्राधिकृत करती है.

यह अधिसूचना दिनांक 1 दिसंबर, 2002 से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक 4506/ग्रा. वि. स./ऊ. वि.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय है, कि ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, गरियाबंद जिला रायपुर के द्वारा किये जा रहे विद्युतीकरण से संबंधित सौंपे गये कार्यों को निरंतर करते रहने देना लोक हित में नहीं रह गया है, तथा यह आवश्यक तथा समीचीन है कि इस समिति द्वारा किये जा रहे विद्युतीकरण से संबंधी कार्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् मंडल द्वारा संपादित किये जाय. अतः राज्य शासन पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 4845/एफ-7/7/तेरह/88 भोपाल, दिनांक 6-12-1988 को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 4 में दी गई शक्तियों को उपयेाग में लाते हुए दिनांक 30-11-2002 से निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा उक्त समिति के कार्यों का निष्पादन करने की सहमति देने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त समिति के कार्यों को निष्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को 1 दिसंबर, 2002 से प्राधिकृत करती है.

यह अधिसूचना दिनांक 1 दिसंबर, 2002 से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक 4508/ग्रा. वि. स./ऊ. वि.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय है, कि ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, अंबिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा किये जा रहे विद्युतीकरण से संबंधित सौंपे गये कार्यों को निरंतर करते रहने देना लोक हित में नहीं रह गया है, तथा यह आवश्यक तथा समीचीन है कि इस समिति द्वारा किये जा रहे विद्युतीकरण से संबंधी कार्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् मंडल द्वारा संपादित किये जाय. अतः राज्य शासन पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 5076/एफ-7/7/तेरह/88 भोपाल, दिनांक 22-12-1988 को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 4 में दी गई शक्तियों को उपयेाग में लाते हुए दिनांक 30-11-2002 से निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा उक्त समिति के कार्यों का निष्पादन करने की सहमति देने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त समिति के कार्यों को निष्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को 1 दिसंबर, 2002 से प्राधिकृत करती है.

यह अधिसूचना दिनांक 1 दिसंबर, 2002 से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2002

क्रमांक 4522/अपारम्प. ऊर्जा./ऊ. वि.—चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत् उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है.

अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक X सन् 1949) की धारा 3-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वर्तमान में पूर्व से स्थापित ऐसे संयंत्रों को छोड़कर, स्वयं के उपयोग के लिए अथवा किसी अन्य इकाई के लिए 10 मेगावाट से कम क्षमता तक के संयंत्र को विद्युत् उत्पादन आरंभ करने के तिथि से पांच वर्ष की कालावधि के लिए, तथा 10 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्रों को विद्युत उत्पादन आरंभ करने के तिथि से तीन वर्ष की कालावधि के लिए विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2002

क्रमांक 4524/अपारम्प. ऊर्जा/ऊर्जा विभाग.—चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि अधिसूचना क्रमांक 38/अ.पा./ऊ.वि./2002, दिनांक 8 अप्रैल, 2002 द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत् उत्पादन संयंत्रों को प्रोत्साहन हेतु विभिन्न सुविधाएं देने के लिए जारी किये गये दिशा-निर्देशों को लोक हित में संशोधन करना आवश्यक तथा समीचीन है.

2. अतएव, जारी किये गये दिशा-निर्देश की कंडिका 6 के प्रारंभ में एवं 'अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों . . . . .' के पूर्व में ''वर्तमान में पूर्व से स्थापित अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को छोड़कर'' स्थापित किया जाए.

3. यह अधिसूचना जारी किये गये दिशा-निर्देश दिनांक 8 अप्रैल, 2002 से प्रवृत्त होगी.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2002

क्रमांक 4528/उ.वि./2002.—भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (1910 की संख्या 9) की धारा 28 की उपधारा (1) तथा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से परामर्श उपरांत निम्नलिखित 6 (छः) उच्च दाब उपभोक्ताओं को उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये आवंटन के अनुसार मेसर्स इण्डो लहरी बॉयो पॉवर लिमिटेड रायपुर को उनके 6 मेगावाट स्थापित क्षमता के विद्युत संयंत्र जो जरौदा ग्राम धरसींवा, जिला-रायपुर में स्थित है से उत्पादित विद्युत के विक्रय हेतु अनुमति प्रदान करती है :—

क्रमांक	कंपनी का नाम	थर्ड पार्टी विक्रय हेतु आबंटित अधिकतम यूनिट प्रतिमाह (लाख यूनिटों में)
(1)	(2)	(3)
1.	मेसर्स मध्य भारत पेपर जांजगीर	10 लाख
2.	मेसर्स नूतन इस्पात एवं पॉवर लिमि., रायपुर	1 लाख
3.	मेसर्स कन्नोई पेपर एवं इण्डस्ट्रीज, बिलासपुर	4 लाख

(1)	(2)	(3)
4.	मेसर्स राजाराम मेज प्रोडक्ट, राजनांदगांव	4 लाख
5.	मेसर्स लहरी लेमिनेटस, रायपुर	2 लाख
6.	मेसर्स इण्डो लहरी के मेल्टिंग प्लांट (स्वयं की इकाई), रायपुर.	10.5 लाख
		कुल 31.5 लाख युनिट

2. उक्त अनुमति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त उच्चदाब उपभोक्ताओं को आबंटित विद्युत अंश में ± 10 प्रतिशत की सीमा तक परिवर्तन हेतु पुनः अनुमति आवश्यक नही होगी किन्तु विद्युत विक्रय की कुल मासिक मात्रा यथा 31.5 लाख यूनिट प्रतिमाह अपरिवर्तनीय रहेगी.

3. विद्युत मण्डल के पत्र क्र. मु. अ./वाणिज्य/1770, रायपुर दिनांक 25-10-2002 में अधिरोपित तथा इस अधिसूचना के किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर शासन द्वारा दी गई यह मंजूरी स्वतः समाप्त हो जायेगी.

4. यह अधिसूचना 27 नवम्बर, 2002 से तत्काल प्रभावशील मानी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2002

क्रमांक डी 4112/3136/3662/2002/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 01 में सम्मिलित "राऊत गोवारी" के पश्चात् "रावत" को तथा सरल क्रमांक 33 (ब) पर सम्मिलित "माली (सैनी), मरार" जाति के पश्चात् "पटैल" (हरदिहा मरार) को निम्नानुसार विवरण के साथ शामिल करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

जाति का नाम (1)	जाति का परम्परागत व्यवसाय (2)	कैफियत (3)
रावत	पशुपालन, दूध विक्रय तथा जजमानी प्रथा के अंतर्गत गाय, बैल, भैस आदि पशु चराना.	ब्राम्हण रावत तथा राजपूत रावत शामिल नहीं है.
पटैल (हरदिहा मरार)	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-भाजी तथा फूल उत्पादन तथा बागवानी.	गांव के मुखिया, पटेल पद तथा अघरिया-धाकड़ आदि अन्य जाति, जो पटेल उपनाम लिखते हैं शामिल नहीं है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 28 नवम्बर 2002

क्रमांक 16741/भू-अर्जन/02/7/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	रतिजा प. ह. नं. 14	196.55	एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस. टी. बी. एस. ई. एस. कोल वाशरी लि. रतिजा.	कोल वाशरी.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईशिता रॉय, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव, कोरबा.

का...य, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 28 नवम्बर 2002

क्रमांक 504/अ.वि.अ./भू-अर्जन/3/अ-82 सन् 2001-2002..—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	महासमुंद प. ह. नं. 142/89	0.039	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग, महासमुंद.	महासमुंद-भलेसर मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 28 नवम्बर 2002

क्रमांक 505/अ.वि.अ./भू-अर्जन/3/अ-82 सन् 2001-2002..—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	जुनवानीकला	49.684	कार्यपालन यंत्री, कोडार परि. संभाग, महासमुंद.	चण्डी डोंगरी जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पकरिया प. ह. नं. 41	0.206	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.).	रामबोड़ जलाशय योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 6/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	रामबोड़ प. ह. नं. 41	0.339	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.).	रामबोड़ जलाशय योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र .

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 7/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	रामबोड़ प. ह. नं. 41	0.129	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	रामबोड़ जलाशय योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 दिसम्बर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2002-2003..—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कांटाहरदी प. ह. नं. 7	4.375	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़.	कांटाहरदी शाखा नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 2 दिसम्बर 2002

क्रमांक 12779/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	पटेवा प. ह. नं. 5	3.36	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, राज.	पटेवा-मासूल मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 दिसम्बर 2002

क्रमांक 12780/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	मासूल	1.30	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, रांज.	पटेवा-मासूल मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजनांदगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1 /अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	छपोरा	0.352	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक मुख्य नहर निर्माण कार्य.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	बेलटीकरी	0.432	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक मुख्य नहर निर्माण कार्य.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	धारासीव	0.085	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक मुख्य नहर निर्माण कार्य.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	0.016	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक मुख्य नहर निर्माण कार्य.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/33/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	खजरी	2.504	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर भण्डोरा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/34/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	भण्डोरा	3.090	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर भण्डोरा जलाशय के भण्डोरा सब माइनर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

क्रमांक 01/अ-82/वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कुहेरा प. ह. नं. 70/17	0.372	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ. ग.).	झांझ नवागांव जलाशय योजना के तहत नहर नाली निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

रा.प्र.क्र./1/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अम्बिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-बरगई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.604 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91	0.039
96	0.132
103/1	0.030
94	0.022
102	0.037
104	0.064
99	0.148
92	0.101
101	0.031
योग	0.604

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करेंया वितरक नहर के नौगई माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

रा.प्र.क्र./3/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अम्बिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-दरिमा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.068 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1096/1	0.060
1131/1	0.132
1143/2	0.037
1187	0.033
1199	0.025
1096/2	0.060
1140	0.037
1149/1	0.068
1190	0.084
1200	0.091
1097	0.019
1141	0.046
1150/1	0.120
1191	0.020
1185	0.052
1142	0.046
1186	0.024
1195	0.114
योग	1.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करेंया वितरक नहर के बरगंई माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

रा.प्र.क्र./4/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-महुआटिकरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.114 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
351	0.037
592/2	0.110
594/ 602/4	0.364
594/ 602/2	0.072
352	0.121
593/1	0.072
594/ 602/5	0.202
353	0.014
593	0.061
594/ 602/3	0.061
योग	1.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करेंया वितरक नहर के महुआटिकरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 नवम्बर 2002

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-गोरियापीपर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.957 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.093
2/6	0.024
15	0.113
106	0.032
180	0.129
176/1	0.041
2/6	0.024
1/2	0.068
107	0.170
215/6	0.081
158	0.170
177/2	0.060
215/1	0.089
14	0.024
104/1	0.121
126/2	0.081
126/1	0.097
177/1	0.061
2/4	0.049
2/7	0.226
105/1	0.041
104/2	0.081

(1)	(2)
174/2	0.081
योग	1.957

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 नवम्बर 2002

रा.प्र.क्र./33/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अम्बिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-नवागढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.116 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
318/1	0.116
योग	0.116

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांकी परियोजना के स्टोर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 नवम्बर 2002

रा.प्र.क्र./34/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अम्बिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-महेशपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.367 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57/2	0.279
14	0.506
9	0.490
30	0.162
12	0.101
7	0.121
29/2	0.049
10	0.150
8	0.225
15	0.040
11	0.244
योग	2.367

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन सयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 4 दिसम्बर 2002

क्रमांक 1861/रीडर/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मदले, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.07 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	25	0.19
	62	0.04
	27/1	0.01
	27/2	0.10
	63	0.06
	81	0.13
	67	0.03
	78	0.04
	92	0.04
	68	0.01
	71	0.03
	73	0.03
	70	0.01
	77	0.12
	60	0.08
	58	0.07
	57	0.04
	113	0.01
	117	0.03
योग	19	1.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दियागांव जलाशय योजना के तहत नहर नाली निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 4 दिसम्बर 2002

क्रमांक 1862/रीडर/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिहारी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.79 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	141	0.22
	132	0.02
	149	0.40
	147	0.36
	151	1.93
	153	0.16
	156	0.78
	170	0.08
	172/2	0.10
	172/3	0.08
	168	0.10
	185	0.56
योग	12	4.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दियागांव जलाशय योजना के तहत नहर नाली निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 4 दिसम्बर 2002

क्रमांक 1863/रीडर/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दियागांव, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91	0.52
93	0.65
100	0.26
111	0.29
112	0.02
198	0.30
220	0.59
225	0.57
226	0.11
37	0.08
229	0.18
87	0.16
86	0.39
39	0.03
51	0.10
40	0.01
45	0.14
54	0.16
56	0.11
55	0.05
58	0.13
23	0.20
49/2	0.12
52/1	0.03
52/2	0.10
योग 25	5.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दियागांव जलाशय योजना के तहत नहर नाली निर्माण

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2001

क्रमांक 4905/तीन-6-8/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) के अधीन उद्भूत होने वाले दाण्डिक मामलों का विचारण करने के लिये नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक दण्डाधिकारी को मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक डी-1976/2359/26-2/88 दिनांक 23-6-1989 के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) की धारा 5 के अंतर्गत निर्मित विशेष न्यायालय में द्वितीय न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अनुसूची के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये जिलों के लिये विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	विशेष द्वितीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय अधिकारीयत व जिला (4)
1.	श्री आर. के. अग्रवाल	रायपुर	रायपुर

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना (जहां तक उसका संबंध रायपुर पर नियुक्ति से है) को निरस्त की जाती है.

Bilaspur, the 1st November 2001

No. 4905/III-6-8/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate Specified in Column No. (2) of the Scheduled below as a Second Judicial Magistrate First Class in the Special Court established by the State Government of Madhya Pradesh under Section 5 of the Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986) vide Social Welfare Department, Bhopal Notification No. D/1976/2359/26/2-88, dated 23-6-1989 for the local Jurisdiction Specified in the corresponding entries in Column No. (4) of the said schedule with head quarter at the place shown in corresponding entries in Column No. (3) thereof, to try cases relating to offences punishable under Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986), namely :—

SCHEDULE

Sl. No. (1)	Name of the Special Second Judicial Magistrate First Class (2)	Head Quarter (3)	Local Areas (4)
1.	Shri R. K. Agrawal	Raipur	Raipur

The earlier High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Notification (so for as it relates to appointment of Second Judicial Magistrate First Class, Raipur) is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक 411/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री प्रदीप कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बलौदा बाजार, जिला रायपुर में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता हैं.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी. के. झा, रजिस्ट्रार जनरल.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक 2220/II-2-78/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती शुकन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 22-4-2002 से दिनांक 26-4-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20-4-2002 से 21-4-2002 एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27-4-2002 से 28-4-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शकुन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शकुन्तला दास उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

बिलासपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2002

क्रमांक 2585/II-2-15/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री अशोक कुमार पण्डा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 18-4-2002 से दिनांक 26-4-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 9 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 एवं 28 अप्रैल 2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार पण्डा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार पण्डा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जिला स्थापना) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जिला स्थापना) के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 1 मई 2002

क्रमांक 2644/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री दयासिन्धु गनवीर, सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर जिला बस्तर को न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 मई 2002

क्रमांक 2646/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, श्री मन्सूर अहमद, सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर जिला बस्तर को न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

Bilaspur, the 13th May 2002

No. 2856/II-2-1/2002.—In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Constitution of India. Hon. the Chief Justice has been pleased to direct that Shri Sandeep Buxy, Additional Registrar (Judicial). High Court of Chhattisgarh, Bilaspur and Shri Arvind Kumar Shrivastava,. Additional Registrar (Administration). High Court of Chhattisgarh, Bilaspur may be relieved from High Court Establishment for being posted in the regular court with effect from 1st June, 2002. The work of Additional Registrar (Judicial) will be looked after by Shri Ashok Kumar Panda. Additional Registrar (District Establishment) in addition to his present work. The work of Additional Registrar (Administration) will be looked after by Shri C. S. Pare, Additional Registrar (Ministerial) in additional to his present assignment.

Bilaspur, the 13th May 2002

No. 2858/Confdl./2002/II-2-1/2002.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby. transfer the following members of Higher Judicial Service specified in Column No. (2) of the table below from the place shown in column No. (3) to the place shown in the Column No. (4) and appoints them as Presiding Officer of the Special Court specified in Column No. (6) established by the State of M. P. vide its Notification No. F-1-2-90/XXI-B/I dated 19-2-97 under section 14 of the Scheduled Castes & the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 from the date they assume charge of their Office. viz. :—

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure. 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service as Additional Sessions Judge in the Sessions Division specified against their name in Column No. (5) of the table below, viz. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri Raghubir Singh	Raipur	Abmikapur	Surguja	Special Court. Ambikapur as Presiding Officer. Special Court in the Vacant Court.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Sandeep Buxy	Bilaspur	Raipur	Raipur	Special Court, Raipur as Presiding Officer, Special Court vice Shri Raghubir Singh on being relieved From the post of Addl. Registrar (Judicial), High court of Chhattisgarh, Bilaspur.

Bilaspur, the 13th May 2002

No. 2860/Confdl./2002/II-2-1/2002.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following members of Higher Judicial Service specified in Column No. (2) of the table below from the place shown in Column No. (3) to the place shown in the Column No. (4) and posts them as Additional District Judge as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their Office, viz. :—

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service as Additional Sessions Judge in the Sessions Division specified against their name in Column No. (5) of the table below, viz. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri Gautam Chouradiya	Raipur	Sakti	Bilaspur	As Additional District & Sessions Judge vice Yogesh Mathur.
2.	Shri Yogesh Mathur	Sakti	Dhamtari	Raipur	As Additional Judge to the Court of Additional Distirct & Sessions Judge vice Smt. Vimla Singh Kapoor.
3.	Smt. Vimla Singh Kapoor.	Dhamtari	Mahasamund	Raipur	As II Addl. District & Sessions Judge in the vacant court.
4.	Shri Chhabilal Patel	Mungeli	Dhamtari	Raipur	As Additional District & Sessions Judge in the vacant court.
5.	Shri Anand Kumar Beck.	Bilaspur	Bemetara	Durg	As IV Addl. District & Sessions Judge. Fast Track Court in the vacant court.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Shri Arvind Kumar Shrivastava.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	As III Addl. District & Sessions Judge. vice Shri Anand Kumar Beck, on being relieved as Additional Registrar (A), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.
7.	Shri Khelan Das	Manendragarh	Durg	Durg	As IV Addl. District & Sessions Judge vice Shri Ashok Kumar Path^k.
8.	Shri Ashok Kumar Pathak.	Durg	Ambikapur	Surguja	As V Addl, District & Sessions Judge, Fast Tract Court in the vacant Court.
9.	Shri Anuj Ram Dhruv	Jagdalpur	Raigarh	Raigarh	As IV Addl, District & Sessions Judge, Fast Track Court.
10.	Shri Chotelal Singh Tekam.	Surajpur	Manendragarh	Surguja	As Additional District & Sessions Judge vice Shri Khelan Das.
11.	Shri Tapan Kumar Chakravarty.	Raipur	Mungeli	Bilaspur	As Additional District & Sessions Judge vice Shri C. L. Patel.
12.	Shri Ganpat Rao	Raipur	Raipur	Raipur	As I Additional District & Sessions Judge vice Shri T. K. Chakravarty.

Bilaspur, the 13th May 2002

No. 2862/Confdl./2002/II-3-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitutions of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges, Class-I as specified in Column No. 2 from the place shown in Column No. 3 in the same capacity and posts them at the place and post mentioned against their respective names in Column No. 4 and 6 respectively from the date they assume charge of their Office, viz. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Shri Anand Kumar Dhruv.	Sakti	Manendragarh	Surguja	As Civil Judge, Class-I vice Shri K. L. Charyani.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri K. L. Charyani	Manendragarh	Sakti	Bilaspur	As Additional Judge to Court of Civil Judge, Class-I vice Shri A. K. Dhruv.
3.	Shri Rajendra Pradhan	Kondagaon	Jagdalpur	Bastar	As II Civil Judge, Class-I in the vacant court.

Bilaspur, the 13th May 2002

No. 2864/Confdl./2002/II-3-1/2002 (Pt. III).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges, Class-II as specified in Column No. 2 from the place shown in Column No. 3 in the same capacity and posts them at the place and post mentioned against their respective names in Column No. 4 and 6 respectively from the date they assume charge of their Office, viz. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Shri Manish Kumar Thakur.	Bilaspur	Pendra Road	Bilaspur	As Civil Judge, Class-II in the vacant court.
2.	Shri Gopal Krishna Neelam.	Bilaspur	Korba	Bilaspur	As Civil Judge, Class-II in the vacant court.
3.	Ku. Vinita Lawang	Raigarh	Raigarh	Raigarh	As IV Civil Judge, Class-II in the vacant court.
4.	Smt. Girija Devi Meravi	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon	As II Civil Judge, Class-II in the vacant court.
5.	Shri S. K. Soni	Raigarh	Kondagaon	Bastar	As Civil Judge, Class-II in the vacant court.
6.	Shri Devendra Nath Bhagat.	Surajpur	Katghora	Bilaspur	As Civil Judge, Class-II in the vacant court.
7.	Shri Vinod Kumar Dewangan.	Raipur	Surajpur	Surguja	As II Additional Civil Judge Class-II vice Shri D. N. Bhagat.

Bilaspur, the 11th October 2002

No. 5308/II-2-3/2002.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, grants Selection Grade Scale of Rs. 15,100-400-18,300 to the following members of Higher Judicial Service holding Junior Administrative Grade Scale specified in Column No. (2) of the table below from the date specified in Column No. (3) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of grant of Scale (3)	Remarks (4)
1.	Shri Pradeep Kumar Shrivastava A.D.J. & Special Judge for trial of cases under N.D.P.S. Act, Bilaspur.	17-10-2002	Granted Selection Grade Scale against the vacant post.
2.	Smt. Nirmala Singh, V Additional & Sessions Judge, Raipur.	9-10-2002	Granted Selection Grade Scale against the vacant post.
3.	Shri Mahendra Kumar Tiwari, III Additional District & Sessions Judge, Durg.	9-10-2002	Granted Selection Grade Scale against the vacant post.

Note : Shri Pradeep Kumar Shrivastava as on date has not completed 8 years of qualifying service in Higher Judicial Service, therefore, in his case the rule of completion of 8 years service in Higher Judicial Service is relaxed but he will get the benefit of Seletion Grade Scale with effect from 17-10-2002, on completion of 8 years qualifying service.

Bilaspur, the 11th October 2002

No. 5310/II-2-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High court of Chhattisgarh, hereby, posts Shri Mahendra Kumar Tiwari, III Additional District & Sessions Judge, Durg as Registrar, State Administrative Tribunal, Bench Raipur from the date he assumes charge of his Office.

बिलासपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5323/तीन-22-7/2000.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 11902/तीन-22-9/87, दिनांक 11-11-1987 जहां तक उसका संबंध अपर जिला न्यायाधीश, खैरागढ़ की श्रृंखला न्यायालय कवर्धा से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 11th October 2002

No. 5323/III-22-7/2000.—The Notification No. 11902/III-22-9/87, dated 11-11-1987 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur so far as it relates holding Link Court of Additional District Judge, Khairagarh at Kawardha is hereby cancelled.

Bilaspur, the 25th November 2002

No. 6068/Confdl./2002/II-2-1/2002 (Pt. III).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, temporarily appoints Shri D. K. Bhatt, Special Judge (Prevention of Atrocities Act), Bilaspur as Officiating District & Sessions Judge of Bilaspur Civil District with effect from the date of taking over charge of his duties until the posting of regular District & Sessions Judge. He shall discharge the duties of District & Sessions Judge besides discharging the duties of Special Judge under the Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. As soon as regular District & Sessions Judge is appointed at Bilaspur, Shri D. K. Bhatt shall revert to his origional post of Special Judge (Prevention of Atrocities Act), Bilaspur.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2002

क्रमांक 112/दो-2-31/2002.—श्री एन. एस. राजपूत, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (तत्कालीन अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, रायपुर) दिनांक 31-8-2002 को अपरान्ह में अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उन्हें उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 187 दिवस (एक सौ सत्यासी दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आज्ञानुसार,
सी. एस. पारे, एडीशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन).

बिलासपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2002

क्रमांक 2603/तीन-6-8/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 4905/तीन-6-8/2000, दिनांक 1 नवम्बर 2001 को अतिष्ठित करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) के अधीन उद्‌भूत होने वाले दाण्डिक मामलों का विचारण करने के लिये नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक मैजिस्ट्रेट को मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक डी-1976/2359/26-2/88, दिनांक 23-6-1989 के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) की धारा 5 के अंतर्गत निर्मित विशेष न्यायालय में द्वितीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अनुसूची के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये जिलों के लिये विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक	विशेष द्वितीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम	मुख्यालय	स्थानीय अधिकारीयत व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जी. आर. सान्डे	रायपुर	रायपुर

Bilaspur, the 30th April 2002

No. 2603/III-6-8/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its Notification No. 4905/III-6-8/2002, dated 1-11-2001 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate Specified in Column No. (2) of the Scheduled below as a Second Judicial Magistrate First Class in the Special Court established by the State Government of Madhya Pradesh under Section 5 of the Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986) vide Social Welfare Department, Bhopal Notification No. D/1976/2359/26/2-88, dated 23-6-1989 for the local Jurisdiction Specified in the corresponding entries in Column No. (4) of the said schedule with head quarter at the place shown in corresponding entires in Column No. (3) thereof, to try cases relating to offences punishable under Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986), namely :—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Special Second Judicial Magistrate First Class	Head Quarter	Local Areas
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri G. R. Sande	Raipur	Raipur

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2002

क्रमांक 2790/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री जे. आर. बंजारा, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालोद जो राजस्व जिला दुर्ग में पदस्थापित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों को संक्षेत: विचारण हेतु विशेष तथा सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5525/तीन-22-4/2000.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक सी/5360/तीन-10-42/75 (बिलासपुर-पेण्ड्रारोड) दिनांक 19-10-1994 जहां तक उसका संबंध चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, पेण्ड्रारोड की श्रृंखला न्यायालय, बिलासपुर से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 26th October 2002

No. 5525/III-22-4/2000.—The Notification No. C/5360/III-10-42/75, (Bilaspur-Pendra Road) dated 19-10-1994 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur so far as it relates holding Link Court of IV Additional District Judge, Pendra Road at Bilaspur is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5527/तीन-6-8/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 2698/तीन-6-8/2000, दिनांक 5 जुलाई 2001 को अतिरिक्त करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) के अधीन उद्भूत दाण्डिक मामलों का विचारण करने के लिये नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक मैजिस्ट्रेट को मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक डी-1976/2359/26-2/88 दिनांक 23-6-1989 के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) की धारा 5 के अंतर्गत निर्मित विशेष न्यायालय में द्वितीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अनुसूची के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये जिलों के लिये विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक	विशेष द्वितीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम	मुख्यालय	स्थानीय अधिकारीयत व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री एस. के. केतारप	सरगुजा स्थान अंबिकापुर	सरगुजा, रायगढ़

Bilaspur, the 26th October 2002

No. 5527/III-6-8/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in Supersession of its Notification No. 2698/III-6-8/2000, dated 5th July 2001, the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate Specified in Column No. (2) of the Scheduled below as a Second Judicial Magistrate First Class in the Special Court established by the State Government of Madhya Pradesh under Section 5 of the Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986) vide Social Welfare Department, Bhopal Notifictioation No. D/1976/2359/26/2-88, dated 23-6-1989 for the local Jurisdiction Specified in the corresponding entries in column No. (4) of the said schedule with head quarter at the place shown in corresponding entires in column No. (3) thereof, to try cases relating to Juveniles under the Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986), namely :—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Special Second Judicial Magistrate First Class	Head Quarter	Local Areas
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri S. K. Ketarap	Surguja at Ambikapur	Surguja, Raigarh

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. के. पण्डा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार.

बिलासपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5385/II-2-58/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. दामले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 20-8-2002 से दिनांक 23-8-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का कम्युटेड अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24-8-2002 एवं 25-8-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. दामले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दुर्ग पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. दामले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5386/II-2-58/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. दामले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,दुर्ग को दिनांक 16-9-2002 से दिनांक 28-9-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 13 दिन का कम्युटेड अवकाश दिया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15-9-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 29-9-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. दामले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दुर्ग पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. दामले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5503/दो-2-32/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 3-9-2002 से दिनांक 4-9-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को राजनांदगांव पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

रजिस्ट्री द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक 4851 दिनांक 9-9-2002 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5588/II-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को दिनांक 7-7-2001 से दिनांक 10-7-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सरगुजा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5590/II-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को दिनांक 27-7-2001 से दिनांक 28-7-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29-7-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सरगुजा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5592/II-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को दिनांक 13-8-2001 से दिनांक 17-8--2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18-8-2001 से 19-8-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सरगुजा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5594/II-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को दिनांक 10-10-2001 से दिनांक 12-10-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5596/II-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को दिनांक 30-10-2001 से दिनांक 31-10-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सरगुजा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5598/II-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को दिनांक 8-12-2001 से दिनांक 11-12-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सरगुजा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5600/II-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 14-1-2002 से दिनांक 23-1-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12-1-2002 एवं 13-1-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5602/II-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 30-5-2002 से दिनांक 1-6-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5604/II-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 13-6-2002 से दिनांक 15-6-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5606/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 19-7-2002 को 1 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5608/II-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 29-7-2002 से दिनांक 2-8-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28-7-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5610/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 9-9-2002 को 1 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5632/दो-2-78/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती शकुन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 7-9-2001 से दिनांक 22-9-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 16 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23-9-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शकुन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शकुन्तला दास उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5634/दो-2-78/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती शकुन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 22-10-2001 से दिनांक 24-10-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20-10-2001 से 21-10-2001 एवं पश्चात् में दिनांक 25-10-2001 से 28-10-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शकुन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शकुन्तला दास उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5636/दो-2-19/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जी. सी. बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को दिनांक 14-1-2002 से दिनांक 18-1-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19-1-2002 एवं 20-1-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. सी. बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सरगुजा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. सी. बाजपेयी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5638/दो-2-19/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जी. सी. बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को दिनांक 26-8-2002 से दिनांक 6-9-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24-8-2002 एवं 25-8-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 7-9--2002 एवं 8-9-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. सी. बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सरगुजा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. सी. बाजपेयी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5640/दो-2-10/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को दिनांक 1-1-2002 से दिनांक 5-1-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6-1-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 5642/दो-2-10/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को दिनांक 7-10-2002 से दिनांक 11-10-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5-10-2002 एवं 6-10-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 12-10-2002 से 15-10-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायपुर पुनः पदस्थापित किया जाता हैं.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाशं वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6028/दो-2-28/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एन. चन्द्राकर, विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर को दिनांक 3-12-2001 से दिनांक 12-12-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30-11-2001 से 2-12-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चन्द्राकर, विशेष न्यायाधीश को अंबिकापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चन्द्राकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6030/दो-2-26/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एस. शर्मा, विशेष न्यायाधीश, जगदलपुर को दिनांक 4-6-2001 से दिनांक 9-6-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3-6-2001 एवं पश्चात् में दिनांक 10-6-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. शर्मा, विशेष न्यायाधीश को जगदलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6032/दो-2-36/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश दुर्ग ,को दिनांक 15-7-2002 से दिनांक 17-7-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13-7-2002 एवं 14-7-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री टी. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश को दुर्ग पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. पी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6034/दो-2-36/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 7-11-2002 से दिनांक 8-11-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1-11-2002 से 6-11-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 9-11-2002 एवं 10-11-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री टी. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश को दुर्ग पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. पी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6036/दो-2-40/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रघुबीर सिंह, विशेष न्यायाधीश, रायपुर, को दिनांक 31-12-2001 को 1 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1-1-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रघुबीर सिंह, विशेष न्यायाधीश को रायपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुबीर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6038/दो-2-40/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रघुबीर सिंह, विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर को दिनांक 17-6-2002 से दिनांक 21-6-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16-6-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 22 व 23 एवं 24-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रघुबीर सिंह, विशेष न्यायाधीश को अंबिकापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुबीर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6040/दो-2-40/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रघुबीर सिंह, विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर को दिनांक 8-7-2002 से दिनांक 12-7-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7-7-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 13-7-2002 एवं 14-7-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रघुबीर सिंह, विशेष न्यायाधीश को अंबिकापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुबीर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6042/दो-2-40/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रघुबीर सिंह, विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर को दिनांक 5-8-2002 से दिनांक 10-8-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4-8-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 11-8-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रघुबीर सिंह, विशेष न्यायाधीश को अंबिकापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुबीर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6044/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री दिलीप भट्ट, विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 19-4-2001 से दिनांक 28-4-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29-4-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप भट्ट, विशेष न्यायाधीश को बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप्र भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6046/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री दिलीप भट्ट, विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 20-9-2001 से दिनांक 22-9-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23-9-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप भट्ट, विशेष न्यायाधीश को बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6048/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री दिलीप भट्ट, विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 26-3-2002 से दिनांक 28-3-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23-3-2002 से 25-3-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 29-3-2002 से 31-3-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप भट्ट, विशेष न्यायाधीश को बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6050/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री दिलीप भट्ट, विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 30-4-2002 से दिनांक 3-5-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4-5-2002 से 5-5-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप भट्ट, विशेष न्यायाधीश को बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6052/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री दिलीप भट्ट, विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 8-5-2002 से दिनांक 10-5-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11-5-2002 एवं 12-5-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप भट्ट, विशेष न्यायाधीश को बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 6054/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री दिलीप भट्ट, विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 11-9-2002 से दिनांक 13-9-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10-9-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप भट्ट, विशेष न्यायाधीश को बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक 6075/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 17-7-2001 से दिनांक 20-7-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21-7-2001 व 22-7-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश को राजनांदगांव पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक 6077/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 3-10-2001 से दिनांक 10-10-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2-10-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश को राजनांदगांव पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक 6079/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 2-11-2001 से दिनांक 3-11-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1-11-2001 एवं पश्चात् में दिनांक 4-11-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश को राजनांदगांव पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक 6081/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 7-11-2001 से दिनांक 9-11-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10-11-2001 व 15-11-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश को राजनांदगांव पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक 6083/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 19-11-2001 से दिनांक 29-11-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 11 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17-11-2001 व 18-11-2001 एवं पश्चात् में दिनांक 30 नवंबर व 1 और 2 दिसंबर के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश को राजनांदगांव पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक 6085/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 13-2-2002 से दिनांक 15-2-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16-2-2002 व 17-2-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश को राजनांदगांव पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक 6087/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 6-5-2002 से दिनांक 12-5-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4-5-2002 व 5-5-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश को राजनांदगांव पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2002

क्रमांक 6089/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 16-8-2002 से दिनांक 3-9-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 19 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश को राजनांदगांव पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार.